

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 420 / 2013
संस्थान दिनांक 31.07.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. राजेश पिता जगदीश ढोली, आयु 30 वर्ष
निवासी- गुलझरा धामनोद, जिला धार म.प्र.
2. महादेव पिता गणेश काछी, आयु 45 वर्ष
निवासी-राजपुर, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी म.प्र.
3. मोहन पिता प्रेमचंद मट्ठा पटेल, आयु 23 वर्ष,
निवासी-झुलेलाल मंदिर के पीछे, धामनोद, जिला धार म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 18.06.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 129 / 2013 अंतर्गत धारा 11 (घ) पशुकूरता निवारण अधिनियम, 1860 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 में दिनांक 31.07.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 19.06.2013 को समय 00:40 बजे, ए.बी. रोड़, खरगोन फाटा ग्राम खुरमपुरा के पास वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 में नग 02 बैलों को मारपीट कर कूरतापूर्वक मुँह-पैर बांधकर ले जाने, गौवंश के 02 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये जाने तथा गौवंश के नग 02 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन करने के संबंध में धारा 11 (घ) पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 19.06.2013 को सहायक उपनिरीक्षक शिवराम जाट को भ्रमण के दौरान कुण्डिया फाटा गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वाहन वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 में बैलों को ठूस-ठूसकर वध हेतु महाराष्ट्र ले जा रहे हैं। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर सहायक उपनिरीक्षक शिवराम जाट ने ए.बी. रोड़ पर हाईवे पेट्रोलियम में गश्त कर रहे मगन एवं हमराह सैनिक बट्टी को सूचना से अवगत कराया खुरमपुरा के पास खरगोन रोड़ पर ठीकरी तरफ से आने वाले वाहनों को चेक करते वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 को रोका तथा त्रिपाल खोलकर देखा तो 2 बैल सफेद रंग के जिनके पैर एवं मुँह बंधे हुए ठूस-ठूसकर भरे पाये गये थे। पुलिस द्वारा वाहन चालक से उसका नाम नाम पता पूछने पर उसने उसका नाम राजेश गुलझरा धामनोद एवं वाहन में बैठे अन्य ने अपना नाम महादेव, राजपुर तथा वाहन मालिक मोहन, धामनोद होना बताया। अभियुक्तों से बैलों को ले जाने का परमिट पूछने पर नहीं होना बताया तथा साक्षियों के समक्ष पुलिस द्वारा 02 बैलों को तथा वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 को जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त राजेश, महादेव एवं मोहन को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 2 लगायत 4 के गिरफ्तारी पंचनामे बनाये व अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 129/2013 अंतर्गत धारा 4, 6 एवं 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 5 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने प्रकरण के अनुसंधान के दौरान साक्षी बट्टी एवं मगन के कथन लेखबद्ध किए तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी तत्कालीन श्री मसूद एहमद खान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 11 (घ) पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 19.06.2013 को समय 00:40 बजे, ए.बी. रोड़, खरगोन फाटा ग्राम खुरमपुरा के पास वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 में नंग 02 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुँह-पैर बांधकर ले जा रहे थे ?

2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के 02 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये गये ?

3. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 02 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन किया ?

यदि हां, तो उचित दंडाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में सहायक उपनिरीक्षक शिवराम जाट (अ.सा.1), बद्री यादव (अ.सा.2), डॉ. दिनेश पटेल (अ.सा.3) एवं मगन (अ.सा.4) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सह संबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। सहायक उपनिरीक्षक शिवराम जाट (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 19.06.2013 को थाना ठीकरी पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा थाने के सैनिक बद्री क्रमांक 46 के साथ कुण्डिया फाटे पर गश्त कर रहा था, तभी उसे मुखबिर से टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 में बैलों को ठूस-ठूसकर वध हेतु महाराष्ट्र ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसने उक्त सूचना उसे ए.बी. रोड हाईवे पेट्रोलियम में गश्त कर रहे मगन तथा सैनिक बद्री को अवगत कराया तथा ग्राम खुरमपुरा के पास खरगोन रोड पर आने वाले वाहनों की जाँच की गई। जाँच के दौरान टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 आया जिसे रोककर जाँच करने तथा उसके ऊपर ढंकी त्रिपाल हटाकर देखने पर उसके अंदर 2 बैल, जिनके मुँह एवं पैर रस्सी से बंधे हुए थे तथा वह दो छोटे टेम्पों में ठूसकर भरे हुए थे। उक्त टेम्पों चालक का नाम पूछने पर अपना नाम राजेश पिता जगदीश, निवासी गुलजरा, धामनोद तथा टेम्पों में उसके सहयोग के लिए बैठे व्यक्ति महादेव पिता गणेश, निवासी राजपुर और वाहन स्वामी मोहन पिता प्रेमचंद, निवासी धामनोद होना बताया। उक्त व्यक्तियों के पास बैलों के परिवहन किये जाने की संबंध में

अनुज्ञप्ति पूछने जाने पर कोई अनुज्ञप्ति नहीं होना बताया। उसने घटनास्थल से टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 तथा उसमें भरे 2 बैल तथा रस्सी के 2 टुकड़े उसने प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त किये थे। उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उसने बद्री एवं मगन के कथन घटनास्थल पर लिये तथा उसने जप्त बैलों को वृंदावन गौशाला को अस्थाई रूप से सुपुदगी पर दिये थे तथा वह जप्त बैलों एवं वाहन को थाना ठीकरी पर लेकर आया तथा अपराध क्रमांक 129/13 गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6, 9 एवं धारा 11 डी के अंतर्गत दर्ज कर प्रदर्शपी 5 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने जप्त बैलों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और जप्त बैल एवं वाहन को राजसात किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक बड़वानी तथा जिलाधीश बड़वानी को पत्र भेजा जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक बड़वानी ने कलेक्टर बड़वानी को प्रदर्शपी 6 का पत्र भेजा था। साक्षी ने दिनांक 18.06.2013 से लेकर 19.06.13 की रवानगी सान्हा क्रमांक 949 और वापसी सान्हा क्रमांक 958 की प्रतिलिपि भी संलग्न की है।

8. अभियुक्तों की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि रात्रि गश्त की रवानगी एवं वापसी का समय एवं दिनांक का उल्लेख रोजनामचा में होता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.06.13 को दर्ज की गई थी और जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही भी 19.06.13 को की गई है, लेकिन भूलवश प्रदर्शपी 5 में उसके हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 19.05.13 लिखी गई है जिसे काटकर सही किया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि म.प्र. राज्य में अच्छी किशम के बैलों के क्रय-विक्रय हेतु शासन के निर्देशानुसार बाजार लगते हैं, जहाँ पर कृषक बैलों की खरीदी-बिक्री का कार्य करते हैं। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि उसके द्वारा जो बैल जप्त किये गये थे वह कृषि उपयोगी थे या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति सुन्देल बैल बाजार से पशु खरीदकर ले जाता है तो उसे ठीकरी एवं बरूफाटक होते हुए ही जाना पड़ता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 के जप्ती पंचनामें में उसके द्वारा त्रिपाल जप्त नहीं की गई थी, क्योंकि वह वाहन में बंधी हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने इस बात की विवेचना नहीं की थी कि बैल महाराष्ट्र में कौन से स्थान पर और कौन से कतलखाने में काटने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जप्त बैल कृषि योग्य थे और कृषि कार्य हेतु उनका परिवहन किया गया। साक्षी ने स्वीकार किया कि रोजनामचा लिखने का समय उसके द्वारा 1:50 बजे लिखा गया है तथा सूचना रिपोर्ट में भी यह समय लिखा है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त रोजनामा एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट एक साथ नहीं लिखी जाती है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि भूलवश प्रथम सूचना प्रतिवेदन में समय लिखा गया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि बड़वानी जिला महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि किसी भी अभियुक्त ने उसे बैलों को वध हेतु ले जाना नहीं बताया था तथा कृषि उपयोग हेतु ले जाना बताया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अपनी विवेचना को बल देने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

9. नगर सैनिक बद्री यादव असा 2 ने भी शिवराम जाट असा 1 के कथनों का समर्थन करते हुए घटना दिनांक 19.06.2013 के रात्रि लगभग 12:30 बजे शिवराम जाट के साथ गश्त करने और मुखबिर से सूचना प्राप्त होने के बाद वाहन टेम्पो क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 में 2 बैलों को परिवहन करते हुए अभियुक्तगण को पकड़ने और अभियुक्तों के पास उक्त बैलों को परिवहन करने के संबंध कोई भी दस्तावेज नहीं होने के संबंध में साक्ष्य दी हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसके सामने शिवराम जाट ने वाहन जप्त किया तथा प्रदर्शपी 2 एवं 4 के पंचनामों के बी से बी भगा पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि कृषि कार्य हेतु अच्छी किशम के पशुओं को क्रय-विक्रय करने हेतु बाजार सुन्देल, राजपुर, खेतिया में बाजार लगता है जहाँ से कृषक बैल क्रय करते हैं और विक्रय भी करते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि यदि सुन्देल बैल बाजार से बैल क्रय कर राजपुर ले जाना हो तो वह धामनोद, ठीकरी, बरुफाटक, जुलवानिया आदि गाँवों से होकर जायेगा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि यदि बैलों को लम्बी दूरी की डामर सड़क, सीमेंट सड़क तथा ठोस सड़क पर चलाया जाये तो उनके पैरों को खुर कमजोर हो जाते हैं और कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं रह जाते हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह विवेचना अधिकारी श्री शिवराम जाट के कहने पर अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

10. मगन असा 4 जो कि जप्ती पंचनामों का स्वतंत्र साक्षी है, ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने केवल 5'-6 माह पूर्व रात्रि में पुलिस के कहने पर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस ने टेम्पो जप्त किया था। टेम्पो के अंदर क्या चीज थी उसे नहीं मालूम। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 6 का कथन देने से भी इंकार किया है।

11. डॉ. दिनेश पटेल असा. 3 का कथन है कि दिनांक 19.06.13 को उसने थाना ठीकरी के पत्र क्रमांक क्यू./दिनांक 19.06.2013 के आधार पर 2 बैलों को मेडिकल परीक्षण किया था तथा 2 बैलों को कोई चोट नहीं होना पाई थी तथा दोनों बैल स्वस्थ व कृषि कार्य के लिए उपयोगी थे। साक्षी ने उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 5 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि यदि बैलों को लम्बी दूरी पर सख्त सड़क पर पैदल चलाया जाये तो उनके खुरों की क्षमता कम हो जाती है।

12. ऐसी स्थिति में जबकि जप्ती पंचनामों के स्वतंत्र साक्षी मगन असा 4 अभियुक्तों को पहचानने तथा उसके सामने अभियुक्तों से टेम्पों में भरे हुए 2 बैल जप्त करने से स्पष्ट इंकार किया है और अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन नहीं किया है, तो शिवराम जाट असा 1 तथा बद्री यादव असा 2 जो कि अभियोजन में हितबद्ध साक्षी हैं, के कथनों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध यह अपराध प्रमाणित नहीं होता है कि उनके द्वारा कूरतापूर्वक वध करने के आशय से बैलों का परिवहन किया जा रहा था, यहाँ तक कि शिवराम जाट असा 1 ने प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह स्वीकार किया है कि किसी भी अभियुक्त ने उसे बैलों को वध करने हेतु नहीं ले जाना बताया था और कृषि उपयोग हेतु ले जाना बताया था। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध में उन्हें दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उनके विरुद्ध कोई अन्य निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को शंका का लाभ देते हुए धारा 11 (घ) पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा बाद वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 0254 एवं जप्तशुदा बैलों के संबंध में राजसात की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 572/2013 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध शेख आरिफ आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- शेख आरिफ पिता इमाम, आयु 30 वर्ष,
निवासी- मदिना मस्जिद के पास,
अजन्ता, थाना अजन्ता, तहसील सिल्लौद,
जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

गिरफ्तारी का दिनांक :- 24.08.2013

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त दिनांक 24.08.2013 से दिनांक 14.09.2013 तक रहा है। इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 21 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

/// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ///

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 572/2013 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध शेख आरिफ आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :- शेख शरीफ पिता इमाम, आयु 35 वर्ष,
निवासी— मदिना मस्जिद के पास,
अजन्ता, थाना अजन्ता, तहसील सिल्लौद,
जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

गिरफ्तारी का दिनांक :- 24.08.2013

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त दिनांक 24.08.2013 से दिनांक 14.09.2013 तक रहा है। इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 21 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को शंका का लाभ देते हुए धारा 11(घ) पशु कूस्ता निवारण अधिनियम, धारा 6-क/10 मध्यप्रदेश कृषिक पशु परीरक्षण अधिनियम एवं धारा 6/9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

15. प्रकरण में जप्तशुदा 21 बैल दिनांक 20.01.2010 को उसके पंजीकृत स्वामी/आवेदक राजेन्द्र पिता बाबुलाल यादव, निवासी-बिलवाडेब को सुपुर्दीनामे पर दिये गये हैं। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा बैल/केड़ों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

15. प्रकरण में जप्तशुदा 2 बैल एवं जप्तशुदा टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 0850 के संबंध में राजसात की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(मसूद एहमद खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला बडवानी

(मसूद एहमद खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला बडवानी